संख्या-37/2018/1229/33-3-2018-66/2018

प्रेषक,

राजीव कुमार,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 20 अप्रैल, 2018

विषय:-'ग्राम स्वराज अभियान' दिनांक 14 अप्रैल, 2018 से 05 मई, 2018 के सफल आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के शासनादेश संख्या-839/31-2018-06/2017 टी0सी0 दिनांक 11 अप्रैल, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 14 अप्रैल, 2018 से 05 मई, 2018 की अवधि में ''ग्राम स्वराज अभियान'' का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की अवधि में दिनांक 24 अप्रैल, 2018 को राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस मनाया जायेगा। इस दिन मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को सम्बोधित किया जायेगा। प्रत्येक चिन्हित ग्राम में मा0 प्रधानमंत्री जी के सम्बोधन का लाइव टेलीकास्ट किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभाग से सम्बन्धित कार्यक्रमों का शीर्ष प्राथमिकता पर समन्वय एवं सतत् अनुश्रवण कर सफल आयोजन सुनिश्चित कराया जाना अपेक्षित है।

2- इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इस दिवस पर निम्नलिखित कार्यवाही भी करायी जाय:-

1- दिनांक 24 अप्रैल, 2018 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जिले की आधी ग्राम पंचायतों को प्रात: 10:00 बजे तथा शेष आधी ग्राम पंचायतों में 03:00 बजे ग्राम सभाओं की खुली विशेष बैठक का आयोजन कराया जाएगा।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद स्तर, तहसील तथा खण्ड स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जायेगा तथा लाभार्थियों का चयन इनके पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

2- राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस दिनांक 24 अप्रैल, 2018 को मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा जबलपुर से किए जाने वाले सम्बोधन का, चयनित गांवों में प्रसारण/ सुनने की व्यवस्था करायी जाएगी।

3- राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस के अवसर पर ग्राम सभाओं में पंचायतों की वर्ष 2018- की वार्षिक कार्ययोजना बनाये जाने का शुभारम्भ तथा विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करायी जाएगी।

4- अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक गॉव के सबसे गरीब परिवारों की सूची तैयार की जाएगी, जो अभी तक शासन की मुख्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना के अनुसार पात्र व्यक्ति/ परिवार, जो लाभार्थ्र्थीपरक योजनाओं का लाभ पाने से वंचित रह गए हों, की भी एक सूची तैयार की जाएगी। ऐसे चिन्हित परिवारों/ व्यक्तियों को अभियान के दौरान अर्थात दिनांक 05 मई, 2018 तक मुख्य योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा।

5- ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के चिन्हित ग्रामों/ वार्डों में रात्रि चौपाल का का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रात्रि चौपाल कार्यक्रम में प्रत्येक जनप्रतिनिधि को कम से 02 या 03 ग्रामों की रात्रि चौपाल में प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित किया जाय तथा इसमें अधिकारियों को भी उपस्थित रहने के निर्देश दिए जाय।

6- अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों/ परिवारों को दिलाए जाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

7- पेयजल योजना में रिबोर हैण्डपम्पों के लिए ग्राम निधि में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हैं। राज्य स्तरीय अधिकारी सुनिश्चित करेंगें कि कोई भी हैण्डपम्प खराब स्थिति में न रहें।

8. उक्त ग्राम स्वराज अभियान के सफल आयोजन से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों का अनुश्रवण प्रत्येक मण्डल के मण्डलायुक्त द्वारा किया जाएगा तथा प्रत्येक सप्ताह

http://shasanadesh.up.nic.in

रिपोर्ट अगले सोमवार को पंचायतीराज विभाग के ईमेल आईडी- rgsa.up@gmail.com एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के ईमेल आईडी- wpkkvuplko@gmail.com पर उपलब्ध करायी जायेगी। कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

राजीव कुमार
मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0।

2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

4- समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

5- अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

7- निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 लखनऊ/ मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 लखनऊ।

8- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) उ0प्र0।

9- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।

10- कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के शासनादेश संख्या-839/ 31-2018-06/2017 टी0सी0 दिनांक 11 अप्रैल, 2018 के संदर्भ में।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार तिवारी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in